कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / STSF / समन्वय / 2021 / 485 भोपाल, दिनांक 08/04/21

प्रति,

समस्त प्रभारी अधिकारी
टाइगर स्ट्राइक फोर्स
मध्यप्रदेश।

विषयः— मीडिया को वन अपराध संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा—निर्देश बावत्।
संदर्भः— भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मीडिया संबंधी निर्देश दिनांक 01.04.2010

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन संगठित वन्यप्राणी अपराधों के नियंत्रण हेतु किया गया है। वर्तमान में इन इकाईयों द्वारा विगत् कुछ समय में वन्यजीवों के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार में लिप्त कई अंतर्राज्जीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। उक्त गंभीर प्रकरणों की विवेचना वन अधिनियमों व दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, साथ ही समय—समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या करते हुये, दिये गये निर्देशों का पालन कर एसटीएसएफ के द्वारा प्रकरणों की विवेचना की जाती / की जा रही हैं।

समाज में वन / वन्यप्राणी अपराधों के प्रति जागरूकता लाने व अन्य कानून प्रर्वतन संस्थाओं की तरह एसटीएसएफ द्वारा किये जा रहे कार्यो को आम जनमानस को बताने के लिए मीडिया को जानकारी साझा किया जाना आवश्यक है। अन्वेषणाधीन एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में समय—समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तारतम्य में एसटीएसएफ के कार्यो की मीडिया को जानकारी दी जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था अपनाई जावेगी—

1. वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा अधिकृत किसी एक अधिकारी के द्वारा ही एसटीएसएफ के प्रकरणों संबंधी जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जावेगी।
2. उक्त जानकारी केवल निम्न चार स्तर पर ही मीडिया को ही उपलब्ध कराई जावे—
   अ) प्रकरण दर्ज होने पर ब) आरोपी के गिरफ्तार होने पर
   स) न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर द) न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण करने पर
3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा **''अरूण शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य''** वर्ष 2020 में दिये गये निर्णय के तारतम्य में मीडिया / सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आरोपियों / संदेही की फोटो व पहचान संबंधी कोई भी जानकारी नही दी जावे तथा गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने प्रदर्शित भी न किया जावे।
4. इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशो का भी पालन मीडिया को जानकारी देते समय किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर तथा अधिकृत शासकीय सेवक के अलावा अन्य कोई भी शासकीय सेवक किसी भी प्रकरण की जानकारी यदि मीडिया / सोशल मीडिया / अन्य को देता है तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावेगी।

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित किया जाता है।

संलग्न— संदर्भित पत्र।

8/04/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र

पृ.क्रमांक / STSF / समन्वय / 2021 / 486 भोपाल, दिनांक 08/04/21

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र

d:\stsf-2021\letter-2021.docx